सं0-2163/62-2-2014-2/3(15)/2014

प्रेषक,

डा0 सूर्य प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड,

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 14 अगस्त,2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग योजना) में सामान्य कृषकों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत सीमा तक की अवशेष धनराशि का आवंटन (जिला योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-जी-503/ल0सिं0/बजट-3/2014-15, दिनांक 06-8-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग योजना) (जिला योजना) के अन्तर्गत सामान्य कृषकों के लिए प्राविधानित धनराशि रू0-4080.00 लाख के सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से प्रथम चार माहों हेतु शासनादेश सं0-1105/62-2-2014-2/3(15)/2014, दिनांक 15-5-2014 द्वारा धनराशि रू0-1360.00 लाख (रूपया तेरह करोड साठ लाख मात्र) अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत सीमा तक की धनराशि में से पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-1360.00 लाख को घटाने/समायोजित करने के उपरांत अवशेष धनराशि रू0-680.00 लाख (रूपया छ: करोड अस्सी लाख मात्र) संलग्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत नि:शुल्क बोरिंग योजना में सामान्य कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराये जाने पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति

http://shasanadesh.up.nic.in

आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नि:शुल्क बोरिंग योजना केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू की जाय, जहाँ भू-गर्भ जल दोहन की स्थिति संतोषजनक हों। इस योजना में भू-गर्भ जल समस्या वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से विभाग द्वारा प्रतिबन्धित किया जायेगा।

(6) प्रत्येक बोरिंग के साथ ही कम से कम 25 पेड़, जो किसान स्थानीय स्तर पर अपने लिए उपयोगी समझे, लगाये जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(7) प्रश्नगत योजना का क्रियान्वयन शासनादेश सं0-3942/62-2-2012-2/2 (10)/2012, दिनांक 20-11-2012 द्वारा निर्गत गार्डड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत योजना मे प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष/विभागीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपदवार फॉट तैयार करते हुए इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि यथासमय जिला सेक्टर योजनाओं के लिए जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण के बाद आवश्यकतानुसार समायोजन करते हुए संशोधित की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद

http://shasanadesh.up.nic.in

विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में आता है तो तदनुसार यथासमय स्वीकृतियाँ संशोधित कर ली जायेंगी।

(9) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत् बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

| | |
|---|---|
| 1-मासिक व्यय विवरण | आगामी माह की 05 तारीख तक |
| 2-प्रारम्भिक व्यायाधिक्य तथा बचत विवरण | 15-10-2014 तक |
| 3-व्यायाधिक्य तथा बचट का अंतिम विवरण् | 15-12-2014 तक |
| 4-वर्ष 2014-15 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो | 15-02-2015 तक |
| 5-आवंटन का समर्पण | 15-03-2015 तक |

नोट:- दिनांक 15-03-2015 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

(11) तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान)(जिला योजना)-27-सब्सिडी"** के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

ह0/

(डा0 सूर्य प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव।

सं0-2163(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- मुख्य अभिंयता, लघु सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।

5- संबंधित जिलाधिकारी।

6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।

7- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।

8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

9- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।

12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

13- एन0आई0सी0 की प्रति।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in